2	IS 3196 (Part 1): 2013 Welded Low Carbon Steel Gas Cylinder Exceeding 5 Litre Water Capacity or Low Pressure Liquefiable Gases Part 1 Cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) — Specification (Sixth Revision)	Amendment No.4 Nov 2020	26 Nov 2020	25 May 2021
3	IS 8472 : 2019 Centrifugal Regenerative Pump for Clear Cold Water — Specification (Second Revision)	Amendment No.1 Nov 2020	26 Nov 2020	7 July 2021

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatanam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at http://www.standardsbis.in.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M) [ADVI.-III/4/Exty./418/2020-21]

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली. 4 दिसम्बर 2020

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (116).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ PUB/3/5/2020-21 (88) दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

अनुसूची के क्रम संख्या (7), कॉलम (5) में - '20 अक्टूबर 2020' को '20 जनवरी 2021' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक 'जी' एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम) [विज्ञापन-III/4/असा./418/2020-21]

## **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 4th December 2020

**Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (116).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published

in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary vide Ref: PUB/3/5/2020-21 (88) dated 7 October 2020 in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Sl No. (7), column (5) of the schedule – Substitute '20 Jan 2021' for '20 Oct 2020'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist 'G' & DDG (Standardization – P & M)

[ADVI.-III/4/Exty./418/2020-21]

## अधिसूचना नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 2020

संदर्भ: एच क्यू-पब015/1/2020-पब-बी आई एस (117).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	काँलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 401 : 2001 टिम्बर के संग्रहण की रीति संहिता (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2020	24 नवम्बर 2020	23 दिसम्बर 2020
2.	आई एस 537 : 2011 टौलिन — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 नवम्बर 2020	24 नवम्बर 2020	23 दिसम्बर 2020
3.	आई एस 13656 : 2019 मोटर वाहन अनुप्रयोग (डीजल और गैसोलीन) के लिए आंतरिक दहन इंजन	संशोधन संख्या 1 नवम्बर 2020	24 नवम्बर 2020	23 दिसम्बर 2020
	क्रैंककेस तेल <i>—</i> विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)			

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुबनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मु, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री